अनुदान संख्या 64 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
GRANT No. 64–MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1931,11,00	1984,76,00	1848,39,55	–136,36,45
पूरक	Supplementary	53,65,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				109,60,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		8,31,00	6,53,11	–1,77,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,01,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (13636.45 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 5365.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.13636.45 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.5365.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552''	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	17615.00	20.55	..	–20.55
पू.	S.	105.00			
पु.	R.	–17699.45			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2851" ग्राम तथा लघु उद्योग	Major Head "2851" Village and Small Industries				
मू.	O.	173176.00			
पू.	S.	5183.00	184112.20	181354.99	–2757.21
पु.	R.	5753.20			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1680.00	2755.00	2864.00	+109.00
पु.	R.	1075.00			

(I) 19605.00 लाख रु. का प्रावधान पच्चीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 19305.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) मुख्य शीर्ष "2851" -

(क) "अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना - एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तंभ - अनुसूचित जाति उप योजना" - 1150.00 लाख रु.; और

(ख) "जनजाति क्षेत्र उप योजना - एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तंभ - जनजाति उप योजना" - 575.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(I) Provision of Rs.19605.00 lakhs remained wholly unutilised under twenty five heads; of these Rs.19305.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2851" –

(a) "Special Component Plan for Scheduled Caste - MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles – SC Sub Plan" – Rs.1150.00 lakhs; and

(b) "Tribal Area Sub Plan – MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles – Tribal Sub Plan" – Rs.575.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of the proposals.

(B) Major Head "2552" -

(क) ''ग्राम और लघु उद्योग - खादी और ग्राम उद्योग'' -

(i) ''खादी उद्योग'' - 1940.00 लाख रु.;

(ii) ''ग्राम उद्योग'' - 650.00 लाख रु.;

(ख) ''ग्राम और लघु उद्योग - नारियल रेशा उद्योग'' -

(i) ''नारियल रेशा बोर्ड'' - 130.00 लाख रु.;

(ii) ''नारियल रेशा उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन'' - 250.00 लाख रु.;

(ग) ''ग्राम और लघु उद्योग - अन्य ग्राम उद्योग'' -

(i) ''पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए निधियों की स्कीम'' - 210.00 लाख रु.;

(ii) ''प्रधान मंत्री रोजगार उत्पादन कार्यक्रम'' - 8500.00 लाख रु.;

(घ) ''ग्राम और लघु उद्योग - लघु उद्योग'' -

(i) ''राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड'' - 230.00 लाख रु.;

(ii) ''प्रौद्योगिकी सहायता संस्था और कार्यक्रम की गुणवत्ता'' - 2405.00 लाख रु.;

(iii) ''संवर्धनात्मक सेवा संस्थाएं और कार्यक्रम'' - 421.00 लाख रु.(44.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित);

(iv) ''एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तंभ'' - 621.00 लाख रु. (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(a) "Village and Small Industries – Khadi and Village Industries" -

(i) "Khadi Industries" - Rs.1940.00 lakhs;

(ii) "Village Industries" - Rs.650.00 lakhs;

(b) "Village and Small Industries – Coir Industries" –

(i) "Coir Board" - Rs.130.00 lakhs;

(ii) "Rejuvenation, Modernisation and Technology Upgradation of Coir Industry" – Rs.250.00 lakhs;

(c) "Village and Small Industries – Other Village Industries" -

(i) "Scheme of funds for Regeneration of Traditional Industries" – Rs.210.00 lakhs;

(ii) "Prime Minister's Employment Generation Programme" – Rs.8500.00 lakhs;

(d) "Village and Small Industries – Small Scale Industries" -

(i) "National Small Industries Corporation Limited" – Rs.230.00 lakhs;

(ii) "Quality of Technology Support Institution and Programme" – Rs.2405.00 lakhs;

(iii) "Promotional Service Institutions and Programmes" – Rs.421.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.44.00 lakhs);

(iv) "MSME Clusters Development Programmes and MSME Growth Poles" – Rs.621.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh);

(v) ''ऋण सहायता कार्यक्रम'' - 1743.00 लाख रु.;

(vi) ''आंकड़ा आधार का उन्नयन'' - 125.00 लाख रु.;

(ङ) ''ग्राम और लघु उद्योग - अन्य व्यय'' -

(i) ''प्रशिक्षण संस्थान'' - 235.00 लाख रु. (60.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित); और

(ii) ''राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना'' - 120.00 लाख रु.।

उपर्युक्त चौदह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2851'' - ''लघु उद्योग'' - प्रौद्योगिकी सहायता संस्थाओं और कार्यक्रम की गुणवत्ता'' के अंतर्गत 21010.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 640.00 लाख रु. पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 21650.00 लाख रु.कर दिया गया। तथापि, 4644.49 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) कुछ राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम स्कीम को लागू किए जाने को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2851'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास आयुक्त'' - 1091.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 307.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1398.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 42.86 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(v) "Credit Support Programme" – Rs.1743.00 lakhs;

(vi) "Upgradation of Data Base" – Rs.125.00 lakhs;

(e) "Village and Small Industries – Other Expenditure" –

(i) "Training Institutions" – Rs.235.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.60.00 lakhs); and

(ii) "Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojana" – Rs.120.00 lakhs.

Provisions under the above fourteen heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2851" – "Small Scale Industries – Quality of Technology Support Institutions and Programme" – the original provision of Rs.21010.00 lakhs was augmented to Rs.21650.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.640.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.4644.49 lakhs (including supplementary grant) – due to non-approval of some of National Minimum Common Programme Scheme for implementation.

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2851" – remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Direction and Administration - Development Commissioner for Micro, Small and Medium Enterprises" – the original provision of Rs.1091.00 lakhs was augmented to Rs.1398.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.307.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.42.86 lakhs; and

(खा) ''अन्य ग्राम उद्योग - महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान'' - 300.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 48.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 348.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 36.05 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुईं।

(गा) ''नारियल रेशा उद्योग - नारियल रेशा बोर्ड'' - 2421.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 373.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2794.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण 140.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2851'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''लघु उद्योग'' -

(क) ''एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तंभ'' - 1047.22 लाख रु. की बचत (2855.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा सामूहिक सुविधा केंद्र स्थापित किए जाने संबंधी अपेक्षा के पूरी न होने और योजना आयोग द्वारा विकास स्तंभों की स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''विपणन विकास सहायता कार्यक्रम'' - 662.64 लाख रु. की बचत (905.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) ''आंकड़ा आधार का उन्नयन'' - 913.09 लाख रु. की बचत (1065.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक वित्त समिति द्वारा संघटक स्कीम - सांख्यिकी का संग्रहण को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और राज्यों में जिला उद्योग

(B) "Other Village Industries – Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialisation" – the original provision of Rs.300.00 lakhs was augmented to Rs.348.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.48.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.36.05 lakhs.

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts.

(C) "Coir Industries – Coir Board" – the original provision of Rs.2421.00 lakhs was augmented to Rs.2794.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.373.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.140.00 lakhs – due to reduction of provision at revised estimates stage.

(IV) Under Major Head "2851" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Small Scale Industries" -

(a) "MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles" – saving of Rs.1047.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2855.00 lakhs) was due to non-completion of requirements for setting up of the common facility centres by the State Governments and late approval of the scheme of Growth Poles by Planning Commission.

(b) "Marketing Development Assistance Programme" – saving of Rs.662.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.905.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(c) "Upgradation of Data Base" - saving of Rs.913.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1065.00 lakhs) was due to non-approval by Economic Finance Committee for the Component Scheme –

केंद्र के कम्प्यूटरीकरण के लिए निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "नारियल रेशा उद्योग - नारियल रेशा उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन" - 120.00 लाख रु. की बचत (1670.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "अन्य ग्राम उद्योग - पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए निधियों की स्कीम" - 195.00 लाख रु. की बचत (1405.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान कम किए जाने के कारण हुईं।

(घा) "अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना" -

(क) "प्रौद्योगिकी गुणवत्ता सहायता संस्था और कार्यक्रम" - अनुसूचित जाति उप योजना" - 1523.99 लाख रु. की बचत (2300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम स्कीमें लागू किए जाने को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड - अनुसूचित जाति उप योजना" - 180.00 लाख रु. की बचत (345.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसूचित जाति समूह से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ङ) "जनजाति क्षेत्र उप योजना - प्रौद्योगिकी सहायता संस्था और कार्यक्रम की गुणवत्ता - जनजाति उप योजना" - 963.57 लाख रु. की बचत (1125.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आदिवासी समूहों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

Collection of Statistics and non-utilisation of funds for computerization of District Industries Centre in the States.

(B) "Coir Industries – Rejuvenation, Modernisation and Technology Upgradation of Coir Industry" – saving of Rs.120.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1670.00 lakhs); and

(C) "Other Village Industries – Scheme of funds for Regeneration of Traditional Industries" – saving of Rs.195.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1405.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage.

(D) "Special Component Plan for Scheduled Caste" -

(a) "Quality of Technology Support Institution and Programme – SC Sub Plan" – saving of Rs.1523.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2300.00 lakhs) was due to non-approval of some of the National Minimum Common Programme Schemes for implementation.

(b) "National Small Industries Corporation Limited-SC Sub Plan" - saving of Rs.180.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.345.00 lakhs) was due to non-receipt of proposal from scheduled caste group.

(E) "Tribal Area Sub Plan - Quality of Technology Support Institution and Programme-Tribal Sub Plan" – saving of Rs.963.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1125.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the tribal groups.

(V) चार शीर्षों के अंतर्गत 326.04 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 26 प्रतिशत से 72 प्रतिशत तक थीं।

(V) Under four heads savings of Rs.326.04 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 26 percent to 72 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (5893.75 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष ''2851'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.5893.75 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "2851" – under the following heads:-

(का) ''लघु उद्योग'' -

(A) "Small Scale Industries" –

(क) ''राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड'' - 230.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 198.27 लाख रु. था।

(a) "National Small Industries Corporation Limited" – Rs.230.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.198.27 lakhs.

(ख) ''ऋण सहायता कार्यक्रम'' - 3488.75 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3425.05 लाख रु. था।

(b) "Credit Support Programme" – Rs.3488.75 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3425.05 lakhs.

(खा) ''अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना - ऋण सहायता कार्यक्रम - अनुसूचित जाति उप योजना'' - 1350.00 लाख रु.।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Caste – Credit Support Programme – SC Sub Plan" – Rs.1350.00 lakhs.

(गा) ''जनजाति क्षेत्र उप योजना - ऋण सहायता कार्यक्रम - जनजाति उप योजना'' - 825.00 लाख रु.।

(C) "Tribal Area Sub Plan – Credit Support Programme – Tribal Sub Plan" – Rs.825.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2851'' -

(A) Major Head "2851" -

(क) ''लघु उद्योग - संवर्धनात्मक सेवा संस्थाएं और कार्यक्रम'' - 595.39 लाख रु. का अधिक व्यय (1203.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 8186.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप भागीदारी के पाठ्यक्रम शुल्क और यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की राशि में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(a) "Small Scale Industries – Promotional Service Institutions and Programmes" – excess of Rs.595.39 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.8186.00 lakhs including supplementary grant of Rs.1203.00 lakhs) was due to increase in course fee and TA/DA amount of participants on account of 6th Central Pay Commission Report.

(ख) ''खादी तथा ग्रामोद्योग - खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग'' - 683.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2482.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 34073.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) ''अन्य ग्राम उद्योग - प्रधान मंत्री रोजगार उत्पादन कार्यक्रम'' - 8500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (54705.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घ) ''अन्य व्यय - प्रशिक्षण संस्थाएं'' - 113.25 लाख रु. का अधिक व्यय (130.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 655.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - ग्राम तथा लघु उद्योग - लघु उद्योग - आंकड़ा आधार का उन्नयन - राज्य सरकार'' - 1184.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1680.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चतुर्थ जनगणना और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग संबंधी व्यय को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 52.53 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(b) "Khadi and Village Industries – Khadi and Village Industries Commission" – excess of Rs.683.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.34073.00 lakhs including supplementary grant of Rs.2482.00 lakhs);

(c) "Other Village Industries – Prime Minister's Employment Generation Programme" – excess of Rs.8500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.54705.00 lakhs); and

(d) "Other Expenditure - Training Institutions" – excess of Rs.113.25 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.655.00 lakhs including supplementary grant of Rs.130.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Village and Small Industries – Small Scale Industries – Upgradation of Data Base – State Government" – excess of Rs.1184.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1680.00 lakhs) was due to meeting of expenditure of 4th Census and for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under one head excess of Rs.52.53 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''6552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज	Major Head "6552" Loans for North Eastern Areas				
मू.	O.	300.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–300.00			
मुख्य शीर्ष ''6851'' ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6851" Loans for Village and Small Industries				
मू.	O.	131.00	330.00	330.00	..
पु.	R.	199.00			

(I) 350.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 200.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''6552'' - ''ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज - खादी तथा ग्रामोद्योग - खादी के विकास के लिए कर्ज'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(II) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''6851'' - ''खादी तथा ग्रामोद्योग - खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग - खादी उद्योग'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 199.00 लाख रु. का अधिक व्यय (101.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''6552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(I) Provision of Rs.350.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.200.00 lakhs alone accounted for under Major Head "6552" – "Loan for Village and Small Industries – Khadi and Village Industries – Loans for Development of Khadi" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) The above savings were partly offset by excess under Major Head "6851" - "Khadi and Village Industries – Khadi and Village Industries Commission – Khadi Industries" – excess of Rs.199.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.101.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "6552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.